

विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ की अध्यक्षता में **30.10.2025** को द्वितीय तल, सीपज़ सेवा केंद्र, सीपज़-सेज़, मुंबई में मेसर्स एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड - सेज़, महापे, नवी मुंबई के सेक्टर विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए आयोजित अनुमोदन समिति की **21वीं बैठक** का कार्यवृत्त।

Minutes of **21st Meeting** of the Approval Committee for Sector Specific Special Economic Zone of **M/s. LTIMindtree Limited – SEZ**, Mahape, Navi Mumbai, under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ held on **30.10.2025**, at Second Floor SEEPZ Service Centre, SEEPZ SEZ, Mumbai.

1	सेज़ का नाम Name of the SEZ	मेसर्स एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड M/s. LTIMindtree Limited
2	सेक्टर Sector	आईटी/आईटीईएस IT/ITES
3	मीटिंग नंबर Meeting No.	21वीं 21 st
4	दिनांक Date	30.10.2025 30.10.2025

उपस्थित सदस्य / Members Present:

क्र. Sr. No.	सदस्यों का नाम Name of Members	पद का नाम Designation	संगठन Organization
1	श्री मयूर मानकर Shri Mayur Mankar	संयुक्त विकास आयुक्त Jt. Development Commissioner	सीपज़-सेज़ SEEPZ-SEZ
2	श्री सुनील अघवाने Shri. Sunil Aghawane	संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Commissioner Income Tax	आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई के नामिती Nominee of Commissioner of Income Tax office, Mumbai
3	श्री बैकियावेलु मुथारासु Shri. Backiyavelu Mutharasu	उप निदेशक डीजीएफटी Deputy Director DGFT	अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई के नामित Nominee of the Additional DGFT, Mumbai
4	श्री बीरेंद्र सिंह Shri Birender Singh	उप आयुक्त, सीमा शुल्क Deputy Commissioner of Customs	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सहार के नामिती Nominee of Commissioner of Customs, General, Air Cargo, Sahar
5	श्रीमती पूनम दराडे Smt. Poonam Darade	उप निदेशक उद्योग Deputy Director Industries	डीसी इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र सरकार के नामिति Nominee of DC Industries, Government of Maharashtra.
6	श्रीमती स्मिता नाम्बियार Smt. Smitha Nambiar	उप विकास आयुक्त Deputy Development Commissioner विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer	सीपज़-सेज़ SEEPZ –SEZ मेसर्स एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड-एसईजेड M/s. LTIMindtree Limited-SEZ
7	श्री जय मनोज शाह Shri Jay Manoj Shah	विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer	सीपज़-सेज़ SEEPZ –SEZ

बैठक में सहायता और सुचारु कामकाज के लिए श्री राहुल शिवणगोल एडीसी (न्यू एसईजेड), श्री जय दीप, एडीसी (न्यू एसईजेड), श्री सुदर्शन शिंदे, एडीसी (न्यू एसईजेड) और श्री हनीश राठी, एडीसी (न्यू एसईजेड) भी शामिल हुए।

Shri Rahul Shivannagol ADC (New SEZ), Shri Jai Deep, ADC (New SEZ), Shri Soodershan Shindde, ADC (New SEZ) and Shri Hanish Rathi, ADC (New SEZ) also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.

कार्यसूची मद संख्या 01 :

दिनांक 19.08.2025 को आयोजित 20वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

Agenda Item No. 01 :

Confirmation of Minutes of the 20th meeting held on 19.08.2025.

दिनांक 19.08.2025 को आयोजित 20वीं बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।		The Minutes of the 20 th Meeting held on 19.08.2025 were confirmed with consensus.	
कार्यसूची मद संख्या 02: मेसर्स एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड (एलओए-59) के प्रथम ब्लॉक अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24) के 5वें वर्ष यानी 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।		Agenda Item No. 02 : Monitoring of the performance of M/s. LTIMindtree Limited (LOA-59) for the 5 th year i.e. 2023-24 of 1 st Block period (FY 2019-20 to 2023-24).	
एलओए नंबर सीपज़-एसईज़/न्यूजेज़/माइंडस्पेस/एरोली/एलएंडटी/59/2018-19/21054, दिनांक 17.08.2018		LOA No. SEEPZ-SEZ/NEWSEZ/MINDSPACE/AIROLI/L&T/59/2018-19/ 21054, DT. 17.08.2018	
इकाई द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इकाई ने वर्ष 2023-24 के दौरान संचयी आधार पर 294.37 करोड़ रुपये का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है।		The Annual Performance Report for the year 2023-24 was submitted by the unit. The unit has achieved positive NFE of Rs. 294.37/- Crore on cumulative basis during the year 2023-24.	
निर्णय: - विचार-विमर्श के बाद, समिति ने सेज़ नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में मेसर्स एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड (एलओए-59) (एलटीआईमाइंडट्री-सेज़) के प्रदर्शन को नोट किया।		Decision: - After deliberation, the Committee noted the performance of M/s. LTIMindtree Limited (LOA-59) (LTIMindtree-SEZ) in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006.	
कार्यसूची मद संख्या 03: प्रथम ब्लॉक अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28) के प्रथम वर्ष अर्थात् 2023-24 के लिए मेसर्स एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड (एलओए-01) के प्रदर्शन की निगरानी।		Agenda Item No. 03: Monitoring of the performance of M/s. LTIMindtree Limited (LOA-01) for 1 st year i.e. 2023-24 of 1 st Block period (FY 2023-24 to 2027-28).	
एलओए संख्या सीपज़/न्यूसेज़/एलटीआई-एसईजेड/एलटीआई/01/2022-23/04056, दिनांक 23.03.2023		LOA No. SEEPZ/NEWSEZ/LTI-SEZ/LTI/01/2022-23/04056, Dated 23.03.2023	
इकाई द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इकाई ने वर्ष 2023-24 के दौरान संचयी आधार पर 129.56 करोड़ रुपये का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है।		The Annual Performance Report for the year 2023-24 was submitted by the unit. The unit has achieved positive NFE of Rs. 129.56/- Crore on cumulative basis during the year 2023-24.	
निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने सेज़ नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में मेसर्स एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड (एलओए-01) (एलटीआईमाइंडट्री-सेज़) के प्रदर्शन को नोट किया।		Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of M/s. LTIMindtree Limited (LOA-01) (LTIMindtree-SEZ) in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006.	
कार्यसूची मद संख्या 04: मेसर्स एलटीआई माइंडट्री लिमिटेड, महापे यूनिट को अनुमति प्रदान करने के संबंध में विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ द्वारा लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन।		Agenda Item No. 04: Ratification of decision taken by Development Commissioner, SEEPZ-SEZ regarding grant of permission to M/s LTI Mindtree Ltd., Mahape Unit.	

यह मुद्दा 28.04.2022 को आयोजित बैठक में यूएसी के समक्ष रखा गया था। यूएसी ने वापस न किए गए कंप्यूटर/आईटी उपकरणों के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और निम्नानुसार निर्णय लिया: - “समिति ने पाया कि पुराने प्रयुक्त आईटी उपकरणों का आयात प्रतिबंधित है। आयात केवल डीजीएफटी द्वारा जारी आयात प्राधिकरण/आयात प्राधिकरण/ आयात लाइसेंस के आधार पर ही स्वीकार्य है और आरसीआर में निर्धारित शर्तों और एमओईएफ एवं सीसी से अनुमति/एनओसी के अनुपालन के अधीन है। इसलिए, ऐसे मामले प्रथम दृष्टया विदेश व्यापार नीति के विभिन्न प्रावधानों, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमापार संचलन नियम 2016 के साथ एसईजेड नियम 2006 के नियम 54(2) का उल्लंघन हैं। समिति का विचार था कि ऐसे मामलों को विकास आयुक्त द्वारा केस-दर-केस आधार पर प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निपटाया जा सकता है, चाहे वह वास्तविक हो या अन्यथा। विकास आयुक्त के निर्णय को अनुमोदन समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना होगा।”	This issue was put up before the UAC in the meeting held on 28.04.2022. The UAC deliberated on the issue of unreturned computer/ IT equipment and decided as under: - “Committee observed that the import of old used IT equipment is restricted for import. Import is permissible only against and import authorization / import of authorization/import licences issued by DGFT and subject to compliance of the conditions laid down in RCR and permission / NOC from MOEF & CC. Hence, such cases are prima-facie Violation of various provisions of the foreign Trade Policy, the Hazardous and other wastes Management and Transboundary Movement Rules 2016 issue under the Environment (Protection) Act, 1992 read with Rule 54(2) of SEZ Rule 2006. Committee held the view that such cases may be dealt with by Development Commissioner n case-to-case basis keeping in view the fact and circumstances of each case whether the same is Bonafide or otherwise. The decision of Development Commissioner will be required to be submitted before the approval committee for ratification.”
निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, समिति ने विकास आयुक्त द्वारा मेसर्स एलटीआई माइंडट्री लिमिटेड, महापे यूनिट को लैपटॉप सहित सहायक उपकरण (उनके कर्मचारी को जारी) के खो जाने की तिथि से भुगतान की तिथि तक लागू शुल्क के साथ ब्याज के भुगतान की अनुमति देने के संबंध में लिए गए निर्णय की पुष्टि की।	Decision: - After deliberation, the Committee ratified the decision taken by the Development Commissioner regarding the grant of permission to M/s LTI Mindtree Ltd., Mahape Unit, for payment of the applicable duty along with interest, calculated from the date of loss of the laptop with accessories (issued to their employee) until the date of payment.
अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक संपन्न हुई।	Meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.

Shri. Dnyaneshwar B Patil
Development Commissioner
SEEPZ- SEZ